

2016 का विधेयक संख्यांक 299-सी

[दि टेक्सेशन लॉज (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिंदी अनुवाद]

**कराधान विधि (दूसरा संशोधन)
विधेयक, 2016**

आय-कर अधिनियम, 1961 और
वित्त अधिनियम, 2016
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

5 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

संक्षिप्त नाम
और प्रारंभ ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

अध्याय 2

आय-कर

धारा 115खखड
का संशोधन ।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 115खखड में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2017 से रखी जाएगी, अर्थात् :-

1961 का 43

5

“(1) जहां किसी निर्धारिती की,—

(क) कुल आय में धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है और उसे धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी में परिलक्षित किया गया है ; या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित कुल आय में धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित है, यदि ऐसी आय खंड (क) के अंतर्गत नहीं आती है,

वहां संदेय आय-कर,—

(i) खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट आय पर साठ प्रतिशत की दर से परिकल्पित आय-कर की रकम ; और

(ii) आय-कर की ऐसी रकम, जो निर्धारिती से उस दशा में प्रभार्य होती, यदि उसकी कुल आय में से खंड (i) में निर्दिष्ट आय की रकम घटा दी जाती,

का योग होगी ।”।

15

धारा 271ककख
का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककख में,—

(I) उपधारा (1) में, “1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्” अंकों और शब्दों के पश्चात्, “, किंतु उस तारीख से पहले, जिसको कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाती है” शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

25

“(1क) निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, यह निदेश दे सकेगा कि उस मामले में जहां धारा 132 के अधीन तलाशी उस तारीख को या उसके पश्चात्, जिसको कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाती है, आरंभ की गई है वहां निर्धारिती, उसके द्वारा संदेय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, शास्ति के रूप में निम्नलिखित का संदाय करेगा,—

(क) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्ष की अप्रकटित आय के तीस प्रतिशत की दर से संगणित राशि यदि निर्धारिती,—

30

(i) तलाशी के अनुक्रम में, धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन विवरणी में, अप्रकटित आय को स्वीकार करता है और उस रीति को विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न हुई है ;

5 (ii) उस रीति का प्रमाण देता है, जिसमें अप्रकटित आय व्युत्पन्न हुई थी ; और

(iii) विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पूर्व,--

(अ) अप्रकटित आय की बाबत ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है ; और

10 (आ) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी, उसमें ऐसी अप्रकटित आय की घोषणा करते हुए प्रस्तुत करता है ;

(ख) विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ष की अप्रकटित आय के साठ प्रतिशत की दर से संगणित कोई राशि, यदि यह खंड (क) के उपबंधों के अधीन नहीं आती है ।”;

15 (III) उपधारा (2) में, “उपधारा (1) में” शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, “या उपधारा (1क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

4. आय-कर अधिनियम में धारा 271ककख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2017 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

नई धारा
271ककग का
अंतःस्थापन ।

20 “271ककग. (1) निर्धारण अधिकारी, धारा 271ककख के उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह निदेश दे सकेगा कि उस दशा में, जहां अवधारित आय में किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट कोई आय सम्मिलित की जाती है, वहां निर्धारित धारा 115खखड के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त शास्ति के रूप में धारा 115 खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन संदेय कर के दस प्रतिशत की दर से संगणित राशि का संदाय करेगा :

कतिपय आय के
संबंध में
शास्ति ।

25 परंतु धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग या धारा 69घ में निर्दिष्ट आय के संबंध में कोई शास्ति उस सीमा तक उद्गृहीत नहीं की जाएगी जिस तक ऐसी आय धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की गई आय की विवरणी में निर्धारित द्वारा सम्मिलित की गई है और धारा 115 खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के उपबंधों के अनुसार कर का सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर या
30 उससे पूर्व संदाय कर दिया गया है ।

(2) धारा 270क के उपबंधों के अधीन कोई शास्ति उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय के संबंध में निर्धारित पर अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(3) धारा 274 और धारा 275 के उपबंध यथाशक्य इस धारा में निर्दिष्ट शास्ति के संबंध में लागू होंगे ।”।

अध्याय 3

वित्त अधिनियम

धारा 2 का संशोधन ।

5. वित्त अधिनियम, 2016,--

2016 का 28

(क) अध्याय 2 की धारा 2 की उपधारा (9) में,--

(i) तीसरे परंतुक में, "115 खखड" अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ; 5

(ii) छठे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखड की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे अग्रिम कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा .";

नए अध्याय 9क का अंतःस्थापन ।

(ख) अध्याय 9 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- 15

'अध्याय 9क

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

199क. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम प्रधान मंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान व्यवस्था योजना, 2016 है । 20

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगी जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

परिभाषाएं ।

199ख. इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "घोषणाकर्ता" से धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ; 25

(ख) "आय-कर अधिनियम" से आय-कर अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है; 1961 का 43

(ग) "प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् जमा स्कीम कहा गया है)" से भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्कीम अभिप्रेत है ; और

(घ) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु 30 परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

199ग. (1) कोई व्यक्ति इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस स्कीम के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात् किन्तु राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य आय 5 1 अप्रैल, 2017 को या उससे पूर्व किसी विनिर्दिष्ट अस्तित्व के पास किसी व्यक्ति द्वारा रखे गए खाते में नकद या निक्षेप के रूप में किसी आय की बाबत घोषणा कर सकेगा ।

अप्रकटित आय की घोषणा ।

(2) किसी व्यय या किसी हानि के मोक या मुजरा की बाबत कोई कटौती ऐसी आय के प्रति अनुज्ञात नहीं की जाएगी जिसके संबंध में उपधारा (1) के अधीन 10 घोषणा की जाती है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट अस्तित्व" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा,--

(i) भारतीय रिजर्व बैंक ;

(ii) कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी बैंक, जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 15 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ;

(iii) कोई प्रधान डाकघर और उप डाकघर ; और

(iv) कोई अन्य अस्तित्व, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ।

199घ. (1) आय-कर अधिनियम या किसी वित्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 199ग की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके अधीन घोषित अप्रकटित आय ऐसी अप्रकटित आय के तीस प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य होगी ।

कर प्रभार और अधिभार ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रभार्य कर की रकम में, परिकल्पित उपकर संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे कर के तैंतीस प्रतिशत की दर से प्रधान मंत्री गरीब कल्याण उपकर के नाम से ज्ञात अधिभार तक वृद्धि की जाएगी जिससे कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

199ड आय-कर अधिनियम या किसी वित्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने वाला व्यक्ति, धारा 199घ के अधीन प्रभारित कर और अधिभार के अतिरिक्त अप्रकटित आय का दस प्रतिशत की दर से शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

शास्ति ।

199च. (1) आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने वाला व्यक्ति प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 में अप्रकटित आय की ऐसी रकम, जो पच्चीस प्रतिशत से कम न हो, जमा करेगा ।

अप्रकटित आय की जमा ।

(2) जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और जमा की गई रकम को जमा की तारीख से चार वर्ष के पश्चात् आहरित किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और ऐसी अन्य शर्तों को भी पूरा किया जाएगा, जो प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा स्कीम, 2016 में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

घोषणा की रीति ।

199छ. आय-कर अधिनियम की धारा 140 के अधीन आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा इस प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचित प्रधान आयुक्त या आयुक्त को की जाएगी और ऐसे प्ररूप में की जाएगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी, जो विहित किया जाए ।

कर, शास्ति, अधिभार का संदाय करने और बंधपत्रों में जमा करने के लिए समय ।

199ज. (1) अप्रकटित आय के संबंध में धारा 199घ के अधीन संदेय कर और अधिभार तथा धारा 199ड के अधीन संदेय शास्ति का, धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के फाइल किए जाने से पूर्व, संदाय किया जाएगा ।

(2) धारा 199च की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम, धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के फाइल किए जाने से पूर्व जमा की जाएगी ।

(3) धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के साथ, क्रमशः धारा 199घ और धारा 199ड के अधीन कर, अधिभार और शास्ति के संदाय को जमा करने के धारा 199च की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सबूत संलग्न होगा ।

घोषित अप्रकटित आय का कुल आय में सम्मिलित न किया जाना ।

199झ. धारा 199ग की उपधारा (1) के अनुसार घोषित अप्रकटित आय की रकम आय-कर अधिनियम के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए घोषणाकर्ता की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

घोषित अप्रकटित आय का संपूरित निर्धारणों की अंतिमता पर कोई प्रभाव न होना ।

199ञ. इस स्कीम के अधीन घोषणाकर्ता, धारा 199ग में निर्दिष्ट अप्रकटित आय या उस पर संदत्त कर और अधिभार की किसी रकम के संबंध में आय-कर अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन किए गए किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण को पुनः आरंभ करने या ऐसे किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण के संबंध में किसी अपील, निर्देश या अन्य कार्यवाही में किसी मुजरे या अनुतोष का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

कर आदि का प्रतिदेय न होना ।

199ट. धारा 199घ के अधीन संदत्त कर और अधिभार या धारा 199ड के अधीन संदत्त शास्ति की कोई रकम प्रतिदेय नहीं होगी ।

घोषणाकर्ता के विरुद्ध घोषणा का साक्ष्य में ग्राह्य न होना ।

199ठ. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 199ग की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी घोषणा में अंतर्विष्ट कोई बात धारा 199ण में उल्लिखित अधिनियमों से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजन के लिए घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी ।

तथ्यों के दुर्यपदेशन द्वारा की गई घोषणा का शून्य होना ।

199ड. इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 199घ के अधीन कर और अधिभार के संदाय के बिना जहां घोषणा तथ्यों के दुर्यपदेशन या उनको छिपाकर की गई है या धारा 199ड के अधीन शास्ति के संदाय के बिना या

धारा 199च के उपबंधों के अनुसार जमा स्कीम में रकम को जमा किए बिना की गई है, वहां ऐसी घोषणा शून्य होगी और इस स्कीम के अधीन कभी नहीं की गई समझी जाएगी।

5 199ढ. विशेष मामलों में दायित्व से संबंधित आय-कर अधिनियम के अध्याय 15 के उपबंध और इस अधिनियम की धारा 119, धारा 138 और धारा 189 यथाशक्य इस स्कीम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे आय-कर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में लागू होते हैं।

आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना।

199ण. इस स्कीम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे,--

कतिपय व्यक्तियों का स्कीम का लागू न होना।

1974 का 52

10

(क) किसी व्यक्ति के संबंध में जिसकी बाबत विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन निरोध का कोई आदेश किया गया है:

परंतु--

15

(i) निरोध का ऐसा आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, जिसका उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व प्रतिसंहरण नहीं किया गया है ; या

20

(ii) निरोध का ऐसा आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, का धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए अवधि के अवसान से पूर्व या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर प्रतिसंहरण नहीं किया गया है ; या

25

(iii) निरोध का ऐसा आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, का उस धारा की उपधारा (3) के अधीन पहले पुनर्विलोकन के लिए अवधि के अवसान से पूर्व या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिसंहरण नहीं किया गया है ; या

30

(iv) निरोध के ऐसे आदेश को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है ;

1860 का 45

1985 का 61

1967 का 37

1988 का 49

1988 का 45

2003 का 15

35

(ख) भारतीय दंड संहिता के अध्याय 9 या अध्याय 17, स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियोजन के संबंध में ;

(ग) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई व्यक्ति ;

1992 का 27

(घ) किसी अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति के संबंध में, जो काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन कर से प्रभार्य है ।

5 2015 का 22

शंकाओं का दूर किया जाना ।

199त. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि धारा 199ग की उपधारा (1) में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस स्कीम में अंतर्विष्ट किसी बात का इस स्कीम के अधीन घोषणा करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा ।

10

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

199थ. (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो इस स्कीम से असंगत न हो उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

15

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

199द. (1) बोर्ड इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगा ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :--

20

(क) धारा 199 छ के अधीन की जाने वाली घोषणा और सत्यापन का प्ररूप और रीति ; और

(ख) ऐसा कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में इन नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

25

(3) इस स्कीम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह यथास्थिति ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।'

35